संख्या-39/2023/822/26-3-2023/सी0एन0-1492118

प्रेषक

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें

निदेशक
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च 2023

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ललितपुर के भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्ती य स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-499/ज0जा0वि0/2022-23, दिनांक-13-03-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ललितपुर के भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ललितपुर के भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु आगणित धनराशि रू0-1200.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-88/2017/आर-1195/26-3-2017-6(विविध)/2017 दिनांक-01.06.2017 द्वारा रू0-500.00 लाख, शासनादेश संख्या-151/2020/2652/26-3-2020-6(विविध)/2017 दिनांक-27.11.2020 द्वारा रू0-100.00 लाख, शासनादेश संख्या-58/2021/1060/26-3-2021-4(विविध)/2017 दिनांक-25.03.2021 द्वारा रू0-388.00 लाख, शासनादेश संख्या-127/2021/2451/26-3-2021-6(विविध)/2017 दिनांक-03.11.2021 द्वारा रू0-104.15 लाख एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-NESTS/Civil/EMRS CL/71/2020-21 Dt. 3.02.2022 द्वारा रू0-107.85 लाख उ0प्र0 अनुसूचित जनजाति शैक्षिक एवं आर्थिक विकास समिति के खाते में सीधे अंतरित की गयी। इस प्रकार उक्त कार्य हेतु रू0-1092.15 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति **कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0** को निर्गत की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ललितपुर में बालक छात्रावास और आउटडोर साइट इम्प्रूवमेंट आदि कार्य हेतु अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1)के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय (के0-100 प्रतिशत/राज्यांश-0)-24-वृहद निर्माण मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 352.53 लाख में से रू0-334.44 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस संबंध में हेतु **शासनादेश संख्या**-88/2017/आर-1195/26-3-2017-6(विविध)/2017 दिनांक-01.06.2017, शासनादेश संख्या-151/2020/2652/26-3-2020-6(विविध)/2017 दिनांक-27.11.2020, शासनादेश संख्या-58/2021/1060/26-3-2021-4(विविध)/2017 दिनांक-25.03.2021 एवं शासनादेश संख्या-127/2021/2451/26-3-2021-6(विविध)/2017 दिनांक-03.11.2021 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून 2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक-04.11.2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में तिथिवार विवरण एवं प्रामाणिक प्रपत्र जी0एस0टी0 इन्वायस सक्षम स्तर से निदेशक, जनजाति विकास के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता् उच्चिकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) निदेशक, जनजाति विकास द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून 2022 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन निदेशक, जनजाति विकास द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bharatiyashasanadesh.org

पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्थार/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्कतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन निदेशालय, जनजाति विकास एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था/निदेशक जनजाति विकास द्वारा प्रेषित मांग एवं अभिलेखों के आधार पर अवमुक्त की गई है। अतः यदि परियोजना के मानक एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में कोई सूचना भविष्य में गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त् कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे एवं अवशेष 05 प्रतिशत की धनराशि की मांग प्रस्तुत करते समय परियोजना की टेण्डर लागत, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, संविदा से सम्बन्धित मूल (MOU), तकनीकी स्वीकृति आदि अभिलेख कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये-3,34,44,000 (रूपये तीन करोड़ चौतीस लाख चौव्वालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 081 लेखाशीर्षक 4225027960104 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न निर्माण कार्य तथा जिला इकाइयों के निर्माण हेतु अनुदान (के.100/रा.0-के.) के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या -E-4-576-X-2022-23, दिनांक-दिनांक 30-03-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव

पृसं0-39/2023/822 (1)/26-3-2023 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, ललितपुर।
6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, ललितपुर।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9- प्रबंध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ।
10- निदेशक, एन0आई0सी0।
11- गार्डफाइल

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in
Search easily on swarajshashanadesh.org

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।